न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 116/2025 बउनवानी उमाशंकर शर्मा बनाम तहसीलदार वजीरपुर
पुत्र केलाश चन्द शर्मा निवासी महलूनी पोस्ट बडियालखुर्द तहसील बसवा जिला दौसा

GCMS No-2025/ 269

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
17.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 21.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर ***"सरकारी जमीन के आवंटन की नियमावली,योजना, बैचान, से संबंधित जानकारी एवं आवंटित ख0न0 1329 खाता संख्या 127 पुराना एवं 123 नया के आवंटन वर्ष एवं काश्तकारों के संबंध में प्रमाणित सूचना।"*** तहसीलदार वजीरपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः भू.अ./आरटीआई/2025/840 दिनांक 15.9.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 21.7.2025 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 की सूचना की सूचना प्रश्नात्मक है होन के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी जिसके संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 718 दिनांक 30.7.2025 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या 4 की सूचना जरिये पत्रांक 718 दिनांक 30.7.2025 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 21.7.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध मे लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर के पत्रांक 718 दिनांक 30.7.2025 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:39:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner